P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-I*September-2015

विदेशी व्यापार की संरचना

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापिका,
अर्थशास्त्र विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जांजगीर

सारांश

विदेशी व्यापार की संरचना का अर्थ आयात और निर्यात के स्वरूप से होता है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार की संरचना हमे उस देश की विकास प्रक्रिया के साथ–साथ उसके आर्थिक विकास के स्तर के बारे में भी बताती है। उदाहरण के लिए अगर किसी देश के विदेशी व्यापार की संरचना पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि वह खाद्यान्नों और कच्चे पदाथा का आयात तथा विनिर्मित वस्तुओं, मशीनो और संयंत्रा का निर्यात करता है तो हम कह सकते है कि वह देश आर्थिक विकास का ऊँचा स्तर प्राप्त कर चुका है। इसके विपरीत यदि कोई देश चाय, काफी, जूट या चीनी आदि वस्तुओं का निर्यात करता है तथा बदले में पूजीगत उपकरणो और विनिर्मित सामग्रियों का आयात करता है तो यह कहा जा सकता है कि इस विकासशील देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया अभी चल रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत के विदेशी व्यापार की संरचना को जानना।

अध्ययन विधि

द्वितीयक समंको पर आधारित।

मुख्य शब्द : विदेशी व्यापार, आयात, निर्यात, प्रमुख रणनीतियाँ।

प्रस्तावना

अनंतकाल से एक दूसरे से दूर देशो और यहाँ तक की महाद्वीपों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान तथा व्यापार के माध्यम से समाजों ने समृद्धि हासिल की है। आज वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आदान प्रदान अनिवार्य सा हो गया है। विभिन्न देश अपने उत्पादो का निर्यात बढ़ाकर और आयात घटाकर अपने नागरिकों की समृद्धि के लिए काम कर रहे है। परन्तु विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत का विदेश व्यापार परिदृश्य कोई विशेष उत्साहजनक नही हैं। विश्व व्यापार में भारत का योगदान अभी भी बहुत कम है। सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत का स्थान वस्तु निर्यात के क्षेत्र में 20वां और आयात के क्षेत्र में 13वां है जबकि विश्व निर्यात में इसका अंश केवल 1.44 प्रतिशत है ओर आयात में इसका योगदान कुल 2.12 प्रतिशत है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेश व्यापार का अहम योगदान होता है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिकाधिक जुड़ने की ओर अग्रसर होने लगी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में यह टिप्पणी दी गई है कि ''भारत का व्यापार संतुलन भी संभालने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा आ रही है, क्योंकि आयात का पलड़ा भारी है, ऊर्जा क्षेत्र पर भी उद्योगों में बने माल पर अधिक खर्च करना पड़ता है। देश के आयात–निर्यात में संतुलन बनाने के लिए इसमें बड़ी मात्रा में निर्मित वस्तुओं को शामिल किए जाने की जरूरत है। देश को सिर्फ कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात ही बढ़ाने और घटाने की जरूरत नही है बल्कि सेवाओं का निर्यात बढ़ाने की जरूरत है और ऐसा करके ही अंतर को पाटा जा सकता है।''

भारतीय निर्यातों की संरचना का अध्ययन करने से पता चलता है कि समय के साथ निर्यातों में कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं का महत्व घटता गया है तथा विनिर्मित वस्तुओ का महत्व बढ़ता गया है। कुल निर्यातो में कृषि व संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा जहाँ 1960–61 में 44 प्रतिशत से अधिक था वही वर्ष 2009–10 में घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत इसी अवधि में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 45 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि एक पिछड़ी हुई व प्राथमिक वस्तुओ पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर अब भारत में एक प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है।

देश में निर्यात वृद्धि के लिए इन उपायो को अपनाया जा सकता है –

1. निर्यात में लघु एवं मझोले उद्यमों के योगदान में वृद्धि करना।

2. निर्यात संवर्द्धन में निर्मित माल की भूमिका।
3. नयी निर्यात नीति।
4. सेवा निर्यात संभावित क्षमता का उपयोग।
5. विशेष आर्थिक क्षेत्रो का निर्यात निष्पादन।
6. शैक्षिक, विधिक एवं परामर्श सेवाओं का निर्यात।
7. व्यक्तिगत चर्या सेवाओं का निर्यात।
8. संचार सेवाओं का निर्यात।
9. सब्जियों, फलो, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प तैयार आभूषण तथा ऑटो कलपुर्जो आदि का निर्यात।

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) ने भारत के निर्यात संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय NSME में लगभग 2 करोड 60 लाख इकाईया है और सकल घरेलू उत्पाद में उनका यागदान 8 प्रतिशत है। जो देश के कुल औद्योगिक उत्पादन के 45 प्रतिशत के बराबर है। इनमें करीब 8 हजार प्रकार के माल तैयार किए जाते है, जिनमें से 40 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र में करीब 6 करोड लोगों को रोजगार मिला हुआ है प्रतिवर्ष एक करोड तीस लाख नई नौकरियाँ सृजित करने की क्षमता है।

नयी निर्यात नीति में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया –

1. सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात अंश में वृद्धि करना (2022 तक 25 प्रतिशत वृद्धि)
2. 10 करोड नौकरियों का सृजन
3. उपयुक्त नीतिगत समर्थन करके भारत को निर्यात की दुनिया में प्रतियोगिता करने की क्षमता में वृद्धि।
4. उन उद्योगों पर ध्यान देना जो श्रम बहुल है।

इंजीनियरिंग उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत योगदान करता है। इस क्षेत्र से देश के कुल निर्यात का 20 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। पिछले डेढ दशकों के दौरान सेवा क्षेत्र के नेतृत्व में आर्थिक वृद्धि का सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत योगदान रहा। सेवा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही।

भारत के आयाता को 4 वर्गो में बाँटा जाता है– (1) खाद्य उपभोग पदार्थ (2) कच्चे माल (3) मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुएं (4) पूंजीगत वस्तुएं। समय के साथ इन चार वर्गो के सापेक्षिक महत्व में अनेक परिवर्तन हुए है। खाद्य उपभोग वस्तुओं के आयात में तेजी से गिरावट आई है। इनका हिस्सा जहाँ 1960–61 में लगभग 16 प्रतिशत था वह वर्ष 2009–10 में लगभग शून्य हो गया। इसी प्रकार कच्चे माल व मध्यवर्ती विनिर्मित वस्तुओं के अंश में तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण पेट्रोलियम व बहुमूल्य पत्थरो का बढ़ता हुआ आयात है। वर्तमान में इस पर कुल आयात व्यय का 30 प्रतिशत से ज्यादा भाग खर्च होता है।

वर्तमान स्थिति यह है कि वर्ष 2009–10 के आँकड़ा के अनुसार भारत क आयात में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा अमेरिका, चौथा सउदी अरब तथा पाँचवा स्थान स्विटजरलैण्ड का है। इसमें हमे इस बात की झलक मिलती है कि हमारी निर्भरता किस देश पर कितनी है?

स्वतंत्रता के तुरंत बाद ओपन जनरल लाइसेन्स के अंतर्गत वस्तुआ की सूची का विस्तार कर आयात नियंत्रण पर छूट देकर सरकार ने प्रगतिशील उदारवाद की नीति का अनुसरण किया है। फिर 1956–57 के दौरान विदेशी मुद्रा संकट ने उदारवाद के इस चरण को तेजी से रोक दिया। व्यापक आयात नियंत्रण को पुनः लागू कर दिया गया और उन्ह 1966 तक बनाए रखा गया। 1966 में रूपये के अवमूल्यन के पश्चात् आयात नियंत्रण को सख्त किया गया। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने तथा घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था 1980 तक बनी रही।

1980 के दशक के मध्य में आयात स्थानापन्न नीति का उद्देश्य व्यापार प्रतिबंधो की कमी कर आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहित करना था जिसमें सबसे पहले कलपुर्जो और बड़ी वस्तुओं को ओपन जनरल लाइसेंस सूची में शामिल कर सूची को धीरे–धीरे बढ़ाया गया। दूसरा प्रत्यक्ष आयात को ध्यानपूर्वक कम किया गया, निजी उद्यमियों के द्वारा मशीनरी तथा कच्चे माल के आयात के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। तीसरे पुनः भरण लाइसेंस सहित अनेक निर्यात लाभों को लागू किया गया जिसस बाजार में मुक्त व्यापार किया जा सके।

भारत की विदेश व्यापार नीति में परिवर्तन की रफ्तार और प्रक्रियाओं ने 1990 में वास्तविक गति पकड़ी। जुलाई 91 में भारी सामान और कलपुर्जो के आयात के लिए लाइसेंस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 2001 को अन्य बची हुई वस्तुओं पर से भी लाइसेंस और मात्रात्मक पाबंदियो को हटा दिया गया। व्यापार शुल्क सुधारो पर भी व्यवस्थात्मक तरीके से ध्यान दिया गया। सीमा शुल्क की अधिकतम दरो में दृढ़ता के साथ कमी की गई।

विदेश व्यापार विकास में सरकारी निकायों की भूमिका

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने में कारगर है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने बहुत सारी नीतियों में अहम् परिवर्तन किए है। इन प्रयासों की वजह से विदेशी निवेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विदेशी निवेश जो वर्ष 2003–04 मे 2.2 अरब डॉलर था वह बढ़कर 2007–08 में 32.43 अरब डॉलर हो गया। यह विभाग भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण की योजना तैयार करता है जिससे भारतीय उद्योग विश्व तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

भारतीय रबर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन रबर मैन्यूफैक्चर रिसर्च एसोसिएशन थाणे को जिम्मेदारी दी गई है। भारत दुनिया में रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और नेचुरल रबर एवं सिंथेटिक रबर का पॉचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत रिक्लेम रबर का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है। चमडा उद्योग देश में विदेशी मुद्रा अजन करने वाला 8वा सबसे बड़ा क्षेत्र है। रोजगार सृजन क्षमता और विकास की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चमड़ा उद्योग को फोकस सेक्टर घोषित किया है तथा इसकी जिम्मेदारी चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद को दी गई हैं। बाजार विकास और निर्यात संवर्द्धन के लिए काउंसिल ने रूस,

ब्राजील दक्षिण अफ्रोका सहित कई देशा में 62 अंतर्राष्ट्रीय मेलो के दौरान ''इंडिया पेविलियन'' आयोजित किए।

रेडोमेड कपड़ो के नियात में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी 3.3 प्रतिशत है। वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद की विशेषज्ञता और अन्य सुविधाओं की वजह से भारतीय निर्यातको के लिए लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। (केमैक्सिल) कैमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का उद्देश्य बेसिक आर्गेनिक एवं अनआर्गेनिक कैमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स साबुन, डिटरजेन्ट, कीटनाशक, सौन्दर्य प्रसाधन, हर्बल उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देना है। इसके अतिरिक्त सेल, भेल रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद् आदि अनेक सरकारी निकाय भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने में असाधारण भूमिका निभा रहे है।

प्रमुख रणनीतियाँ

वैश्विक स्तर पर धीरे–धीरे कारोबारी गतिविधियों में तेजी आ रही है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए सरकार को निर्यात संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। जिससे इसकी लागत कम की जा सके। वस्तुओं के निर्यात में होने वाली देरी को रोकने के लिए बंदरगाह और हवाई अड्डा दोनो के आधारभूत ढाँचे में सुधार की जरूरत है। इसी तरह मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय न होने से भी निर्यात प्रभावित होता है। सरकार को गंभीरता पूर्वक देखना होगा कि आखिर नीतिगत खामी कहॉ है? भारत का निर्यात इसलिए पिछड़ रहा है, क्योंकि हमारे निर्यातकों को अनगिनत समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई अध्ययनो से यह साबित हो गया है कि उदारीकरण के बावजूद भारत का कारोबारी माहौल अब भी पिछडा हुआ है। देश में कारोबारी गतिविधियों में आ रही कठिनाईयों को समझने के लिए विश्व बैंक की रिपोर्ट प्रासंगिक है। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूईग बिजनेस रिपोर्ट (2013 में भारत को 185 देशो में 132वा स्थान दिया) 2015 में यह स्थान 130वां हो गया ह। चूंकि विश्व बैंक ने 1 जून की वस्तु स्थिति को शामिल किया है ऐसे में इस बात की उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में भारत और बेहतर स्थिति में नजर आएगा। मेक इन इंडिया मिशन के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि भारत इस रैंकिंग में अंडर 50 में जगह बनाए।

भारत में भी निर्यात ब्याज दर घटानी होगी और निर्यातकों को करो में रियायतें देनी होगी। मुद्रा परिवर्तनीयता पर लगने वाले सेवा कर को समाप्त करने के साथ–साथ विदेशो से मंगाई जाने वाली मशीनरी पर टैक्स को भी खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे भी प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे निर्यातको को कई प्रकार की कठिन प्रक्रिया अपनाने से छूट मिले। इन सबके साथ नई विदेश व्यापार नीति में मार्केट स्कीम व प्रोडक्ट स्कीम से निर्यातकों को लाभान्वित करना चाहिए निर्यात के ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई विदेश व्यापार नीति को ऐसे प्रावधानो से सुसज्जित करना चाहिए जिससे निर्यात क्षेत्र में दुनिया के अन्य देशो से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए भारतीय निर्यातक खडे हो सके और गुणवत्तापूर्ण उत्पादक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते हुए देश के निर्यात लक्ष्यों को हासिल कर सके। निर्यातकों को विदेशी बाजार में ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाए।

सरकार को एकीकृत नीति अपनानी चाहिए, अर्थात् ऐसी नीति जिसका आयातों व निर्यातों दोनो पर प्रभाव पड़ता हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उद्योग व्यापार पत्रिका –अक्टूबर 2004, दिसम्बर 2004, जनवरो 2005, जुलाई 2005, अक्टूबर 2005, फरवरी 2006, मई 2006, मार्च 2007, जुलाई 2007, दिसम्बर 2007, अगस्त 2008, अगस्त 2009, नवम्बर 2009, दिसम्बर 2009, जुलाई 2010, नवम्बर 2010, अगस्त 2011, नवम्बर 2011, मई 2012, जुलाई 2012, अक्टूबर 2012, जून 2013, सितम्बर 2013, नवम्बर 2013, फरवरी 2014, मार्च 2014, दिसम्बर 2014।
2. योजना –जून 1998, दिसम्बर 1999, मई 2002, जनवरी 2003, फरवरी 2004, अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2010, मार्च 2011, फरवरी 2012, दिसम्बर 2014
3. कुरूक्षेत्र – दिसम्बर 2003, नवम्बर 2004, अगस्त 2005, सितम्बर 2007।
4. समाचार पत्र – पत्रिका 29.09.2015, हरिभूमि 29.10. 2015।